विधान परिषद के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
2(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख 82862 दिनांक 10-10-2023 जो जनपद-रायबरेली के तहसील-सदर, के ग्राम-पूरे मोती मजरे मझिगवां द्वारा संलग्न प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी रायबरेली को प्राप्त हुआ है ?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र के बिन्दु क्या-क्या है ?	पत्र में श्रीमती लीलाबाई पुत्री स्व0 परमेश्वर पत्नी स्व0 रामसेवक निवासी ग्राम पूरे मोती मजरे मझिगवां करन, तहसील सदर रायबरेली के प्रार्थना-पत्र संलग्न कर अवगत कराया गया है कि श्रीमती लीलाबाई के पिता परमेश्वर के नाम ग्राम शोरा तहसील सदर जनपद रायबरेली के भू-लेखों में वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1419-1424फ0 की खाता खतौनी संख्या 140 पर कृषि भूमि अंकित थी, जिस पर उनके जीवित रहते चकबन्दी कानूनगो, श्री प्रकाश दीक्षित ने उनको मृतक दिखाते हुए राजेश पाल पुत्र रामसेवक पाल के नाम दिनांक 30.04.2016 को फर्जी वरासत दर्ज कर दी थी। उक्त प्रकरण की जॉच में शिकायत सही पाये जाने पर उक्त वरासत को निरस्त कर दिनांक 11.08.2022 को नियमानुसार उनको वरासत आदेश किया गया, जिसके विरूद्ध उनको परेशान किये जाने की नियत से बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रायबरेली के यहां विपक्षी राजेश पुत्र राम सेवक द्वारा पुनः अपील किया गया, जिसमें निर्णय विचाराधीन है। उक्त विपक्षी सांठ-गांठ करके वरासत से बेदखल करना चाहते है, जिस कारण इन्होंनें उक्त मामले की निष्पक्ष निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.10.2023 प्राप्त होने पर सन्दर्भित प्रश्नगत ग्राम शोरा चकबन्दी प्रक्रिया में होने के कारण प्रकरण की जाँच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रायबरेली से करायी गयी, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 03.11.2023 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम शोरा के आधार वर्ष के खतौनी खाता संख्या-140 फ० 1419-1424 पर श्रीमती लीलाबाई का नाम आदेश च0कर्ता क्रम संख्या-93 दिनांक 11.08.2022 धारा-6क मृतक परमेश्वर पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर वतौर वारिस दर्ज है। विपक्षी राजेश पाल पुत्र रामसेवक के द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील संख्या-172/अन्तर्गत धारा-17क(3) राजेश बनाम श्रीमती लीलाबाई योजित किया गया, जिसमें तारीख फैसला 0172/10.10.2023 द्वारा चकबन्दीकर्ता का आदेश दिनांक 11.08.2022 को निरस्त कर खाता संख्या-140 की भूमि मूल खातेदार के नाम कायम रखते हुए पक्षों को निर्देशित किया गया है कि वरासत का प्रकरण विवादित है जो धारा-9 के समय चकबन्दी अधिकारी न्यायालय में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया में अनुतोष प्राप्त करें। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम शोरा परगना व तहसील सदर जनपद रायबरेली में वर्तमान में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-09 का प्रकाशन नहीं हुआ है। धारा-09 के प्रकाशन के उपरान्त नियमानुसार चकबन्दी अधिकारी न्यायालय द्वारा विवादित प्रकरण का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।

F:\2024\noting 2024